

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

26 JUN 2020

क्रमांक : प. 1(14)एम.ई. / ग्रुप-1 / 12


जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24खख के उपनियम-5 के अन्तर्गत गठित डीएसीपी (डायनेमिक एस्थोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम) स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर **गेस्ट्रोएंटेरोलोजी** विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को वर्ष 2020-21 के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. विपिन कुमार माथुर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2020
2.	डॉ. अनिल शर्मा	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2020
3.	डॉ. साबीर हुसैन	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2020

आज्ञा से,


(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


26.6.2020
शासन उप सचिव

